कृषि की पैदावार बढ़ाना

976. **श्री रामजीलाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु गत दो वर्षों में कौन-कौन से नए तरीके अपनाए हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में बीजों की नई किस्मों के संबंध में अनुसंधान कार्य हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में कृषि की पैदावार प्राप्त की जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान): (क) आठवीं योजना के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाजों तथा गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं। इसके अलावा, कपास, पटसन, तिलहनों और दलहनों के लिये फसल विशिष्ट विकास कार्यक्रम चलाये गये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार सुधारना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों में जैविक कृमिनाशियों का उपयोग और समेकित कृमि प्रबन्ध, मृदा की स्थिति सुधारने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये समस्या वाली मृदा में कार्बनिक पदार्थों और मृदा सुधारकों का उपयोग और कम उत्पादकता स्तरों वाले प्रखंडों/क्षेत्रों का विकास करना शामिल है।

(ख) बीज अनुसंधान पर निम्नलिखित परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं:-

1. राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलें),
2. संकर और चयनित फसलों के लिये अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ाना देना।
3. वार्षिक तिलहन फसलों पर प्रजनक बीज का उत्पादन।
4. विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना-चरण-III

बीज अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा देश के 26 कृषि विश्वविद्यालयों में भी किया जाता हैं, जिनके यहां बीज अनुसंधान कार्य करने के लिये अलग विभाग हैं। हाल ही में निर्मुक्त करने के लिए सिफारिश की गई संकर किस्मों में से कुछ किस्में इस प्रकार हैं:-

—चावल: त्वरित मिशन मोड संकर चावल अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से भारत संकर चावल की प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करने वाला दुनिया में चीन के बाद दूसरा देश बन गया हैं संकर चावल की चार किस्में पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी हैं।

—मोटे अनाज: सूखा प्रवण स्थितियों के लिये उपयुक्त मक्का तथा बाजरा की कम अवधि में पकने वाली संकर किस्में विकसित की गई हैं। रबी में खेती के लिये संकर सौरघम का भी विकास किया गया है।

—कपास: उत्तर पश्चिमी भारत में पहली बार संकर कपास प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त किया गया है जिसके फलस्वरूप पंजाब में "फतेह" हरियाणा में "धनलक्ष्मी" और राजस्थान में "राज एच. एच. 16" नामक किस्में निर्मुक्त की गई जिससे मध्यम रेशे वाली कपास के उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है।

— दलहन और तिलहन

- अधिक उपज देने वाली दलहनों की 16 किस्मों का पता लगाया गया है।
- सूरजमुखी और अरण्डी की संकर किस्में तिलहनों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायक हो रही है। तोरिया और सरसों को आगे और अधिक बढ़ावा देने के लिये तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है।

—फल

अमरूद की सी.आई.एस.एच-एम-1 और लाल रंग की किस्म निर्मुक्ति हेतु संस्तुत की गई है। नियमित रूप से फल देने वाली दशहरी की एक किस्म का पता लगाया गया है। काजू की एक किस्म "प्रियंका" जिसकी 2 मीटरी टन प्रति हैक्टेयर पैदावार है, संस्तुत की गई है। नारियल की एक "फिलीपीन्स साधारण" किस्म तथा कर्नाटक और अण्डमान के मैदानी इलाकों के लिये सुपारी की दो किस्में निर्मुक्ति हेतु संस्तुत की गई हैं।

Use of Phosphatic and Potassic Fertilizers

977. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there has been a continuous decline in the use of phosphatic and potassic fertilizers in the country.

(b) if so, the present position in this regard;

(c) whether urea is a controlled item, whereas phosphatic and potassic fertilizers were decontrolled and whether this has led to a distortion in their use over the last few years; if so, what steps Government have so far taken in this regard;

(d) whether there is a proposal to import fertilizers to meet the situation; if so, the details thereof; and

(e) whether Government have reviewed or propose to review the fertilizer pricing and subsidy policies to correct the nutrient imbalance in the soil; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) to (c) Urea is the only fertiliser which is under statutory price control, at present. Price, distribution and movement control on Phosphatic and Potassic fertilisers has been lifted with effect from 25.8.1992. The decontrol of these fertilisers resulted in steep hike in their prices leading to distortion in their use. In order to cushion the impact of this price hike and to correct distortion in NPK ratio, the Government of India has been implementing a scheme of concession on sale of these decontrolled fertilisers with effect from 1.10.1992. The decline in the use of phosphatic and potassic fertilisers has been arrested in 1994-95 and the NPK consumption ratio has also improved from 9.7:2.9:1 in 1993-94 to 8.4:2.6:1 in 1994-95 as can be seen from the table below:

Year	Consumption (Lakh tonnes)				NPK
	N	P	K	Total	ratio
1992-93	84.27	28.44	8.84	121.55	9.5:3.2:1
1993-94	87.89	26.69	9.08	123.66	9.7:2.9:1
1994-95	95.07	29.32	11.25	135.64	8.4:2.6:1

(d) At present, imports of urea alone is canalised. The imports of phosphatic and potassic fertilisers are decanalised. During 1995-96, 34.97 lakh tonnes urea have been imported between April, 1995 and February, 1996 on Government account. About 14.47 lakh tonnes Di-Ammonium Phosphate and 17.02 lakh tonnes Muriate of Potash have been imported between April-December, 1995.

(e) At present no change in the fertiliser pricing and subsidy policy is envisaged.

Prices of Pulses

978. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increase in the prices of pulses;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the steps taken to arrest the increase in the prices of pulses; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) to (d) The increase in the prices of 'pulses' as a group is currently in consonance with the rise in general wholesale prices although the prices of certain pulses are still ruling high due to demand supply imbalances. In order to augment the supply, the import of pulses is being allowed under O.G.L. at a nominal customs duty of 5 per cent. Also, the Pulses (Storage Control) Order, 1977, has been amended to exclude imported pulses from the purview of storage limits prescribed under the said Order.

Donations by SAIL

979. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to refer to answer to Starred Question 290 given in Rajya Sabha on 15th December, 1995 and state:

(a) the reasons and justification of giving donations by SAIL to several foundations;

(b) whether Government propose to probe the donations of SAIL by CBI; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) SAIL being one of the biggest public sector undertakings, shares the country's concern for economic and social development. Hence, Board of Directors of the Company (SAIL) sanction, every year, certain amounts for donations within the limit prescribed under the Companies Act, 1956 for providing financial help for undertaking welfare/developmental/construction works for medical, educational, cultural and sports promotion activities etc., spread all over the country.